

फैक्ट सीट

1	परियोजना का नाम :-	जिला योजना के अन्तर्गत सिलंगी से सेंज तक मोटर मार्ग का नव निर्माण, लम्बाई 1.00 कि०मी०
2	प्रभावित भूमि का वैधानिक स्थिति के अनुसार क्षेत्रफल (है० मे) :- आरक्षित वन भूमि :- निजी भूमि :- मक डिस्पोजल हेत (सिविल भूमि):- योग :-	 0.350 है० 0.350 है० 0.050 है० 0.750 है०
3	प्रस्तावक विभाग का नाम :-	अस्थाई खण्ड लो०नि०वि० गौचर
4	वन प्रभाग का नाम :-	बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर
5	प्रस्ताव बाईडिंग किया गया है :-	हाँ
6	प्रस्ताव में विषय सूची भरी गई है :-	हाँ
7	क्या भारत सरकार के प्रारूप के भाग - 1,2 व 3 के सभी बिन्दुओं की सूचना भरी गई है :-	हाँ
8	क्या प्रारूप में वांछित स्थानों का दि० व स्थान भरा गया है	हाँ
9	प्रस्तावित क्षेत्र की हरियाली का घनत्व दर्शाया गया है :-	हाँ
10	प्रभावित होने वाले वृक्षों की सूची/ प्रमाण-पत्र संलग्न है :-	हाँ
11	बांज प्राजातियों के वृक्षों के प्रभावित होने की दशा में सम्बंधित वन संरक्षक का स्थलीय निरीक्षण प्रमाण-पत्र संलग्न है :-	हाँ
12	प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या यदि अत्याधिक है तो प्रस्तावक विभाग द्वारा उन्हे कम करने का क्या प्रयास किया गया है :-	मार्ग का संरक्षण इस प्रकार तय किया गया है कि जिससे कम से कम वृक्षों का पातन हो।
13	समरेखण में आने वाले कुल वृक्षों की संख्या व वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों की सूची संलग्न है :-	हाँ
14	क्या वृक्षों की संख्या के अनुसार हरियाली का घनत्व सही है :-	हाँ
15	क्या क्षतिपूरक वृक्षारोपण की विस्तृत योजना मय स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र सहित प्रस्ताव में संलग्न है।	हाँ
16	क्या मानचित्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया है :-	हाँ
17	प्रस्तावित मार्ग के दोनो ओर/ परियोजना के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों की वृक्षारोपण योजना संलग्न है :-	हाँ
18	क्या परियोजना क्षेत्र वन्य जीवों के संरक्षण की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है :-	नहीं
19	प्रस्तावित क्षेत्र हाथी कोरिडोर का हिस्सा है :- यदि हां तो मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक का प्रमाण पत्र संलग्न है :-	नहीं
20	क्या प्रस्ताव का क्षेत्रफल सभी प्रपत्रों में सही भरा गया है :-	हाँ

21	प्रस्तवित मार्ग नया प्रस्तवित है अथवा पूर्व निर्मित मार्ग से आगे निर्माण किया जाना है :- (यदि पूर्व निर्मित मार्ग से आगे बनाया जाना है तो पूर्व में जारी तो भारत सरकार की स्वीकृति की प्रति संलग्न करें)	मार्ग नया प्रस्तावित है
22	क्या मानचित्र में प्रभावित विभिन्न प्रकार की भूमि को अलग-अलग रंगों से भरा गया है :-	हां
23	यदि सड़क का आरम्भिक बिन्दु किसी मार्ग से निकलता है तो उस मार्ग को मानचित्र पर दर्शाया गया है :-	हां
24	क्या प्रस्तवित परियोजना में वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन हुआ है :-	नहीं
25	यदि उल्लंघन हुआ है तो पूर्ण स्थिति वर्णित करते हुए दोषी अधिकारियों / कर्मचारियों के नाम एवं उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही का संलग्न किया जाए ।	काई उल्लंघन नहीं हुआ है।
26	सड़क निर्माण हेतु तलाशी गई अन्य सम्भावनाएं / वैकल्पिक समरेखण मानचित्र पर दर्शाए गए हैं :-	हां
27	वैकल्पिक समरेखणों को निरस्त करने का कारण (एक विस्तृत नोट संलग्न किया जाए)।	1:50,000 के मानचित्र में लिखा गया है।
28	लागत लाभ विषलक्षण मात्रात्मक रूप से प्रस्तुत है (पांच है० से अधिक के प्रकरणों में लागू होगा):-	हाँ
29	मानचित्र व चार्ट में एकरूपता है :-	हां
30	मलवे के निस्तारण की योजना मय मानचित्र सहित संलग्न है :- अथवा मलवे के निस्तारण के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र संलग्न है :-	हां
31	राज्य सरकार द्वारा लगाई जाने वाली शर्तों का प्रमाण पत्र प्रस्तावना संलग्न है :-	हां
32	क्या प्रस्ताव में संलग्न प्रमाण पत्रों की फोटो प्रतियां मूल में संलग्न हैं यदि छाया प्रतियां संलग्न की गई है, तो क्या वे सत्यापित हैं :-	हां
33	यदि वनभूमि लीज पर ली जानी है तो लीज अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न करें :-	नहीं
34	वित्तीय / प्रशासनिक स्वीकृति संलग्न है :-	हां
35	क्या प्रस्तावों में सभी प्रमाण पत्रों में परियोजना का नाम अंकित है :-	हां
36	क्या चैक लिस्ट के अनुसार सभी प्रमाण पत्र संलग्न हैं :-	हां

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव उक्त फ़ैक्ट सीट एवं चैक लिस्ट के अनुसार गठित किया गया है व समस्त प्रमाण पत्र / सूचनाएं संलग्न कर दी गई है।

हस्ताक्षर

सहायक अभियंता,
अस्थाई खण्ड लो० नि० वि०
गौचर(चमोली)

हस्ताक्षर

अधिशारी अभियंता,
अस्थाई खण्ड लो० नि० वि०
गौचर(चमोली)

हस्ताक्षर

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर

वन क्षेत्राधिकारी
नन्दप्रयाग रेंज
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर